3

लेखांकन मानकों का परिदृश्य
(OVERVIEW OF ACCOUNTING STANDARDS)

इकाई–I : लेखा मानकों की प्रयोज्यता
(Unit-1 : Applicability of Accounting Standards)

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अध्ययन पश्चात आप निम्न को समझने में समर्थ होंगे :

- लेखा मानकों की स्थिति को समझें;
- लेखा मानकों की प्रयोज्यता को समझें;

इकाई अवलोकन (Unit Overview)

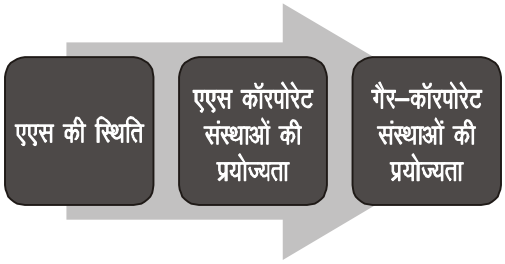

1.1 लेखा मानक स्थिति (Status of Accounting Standards)

यह अध्याय 1 में पहले ही उल्लेख किया गया है कि मानक भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लेखा मानकों बोर्ड (एएसबी) द्वारा विकसित किए जाते हैं और इसकी परिषद् के अधिकार के तहत जारी किए जाते हैं। संस्थान एक विधायी निकाय नहीं है, इसके सदस्यों द्वारा केवल उसके मानकों को अनुपालन लागू कर सकता है। इसके अलावा, मानकों को कानून और स्थानीय नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते लेखांकन मानक फिर भी संबंधित मानकों में निर्दिष्ट तिथियों से अनिवार्य बनाये गये हैं और आम तौर पर सभी उद्यमों पर लागू होते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है कि कुछ अपवादों के अधीन है। एक लेखा मानक के अनिवार्य स्थिति का निहितार्थ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संबंधित उद्यम को नियंत्रित कानून मानक के अनुरूप है, उदाहण के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 (या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनियों के लिए लेखा मानकों को अधिसूचित किया है)।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह आकलन करने में कि एक लेखा मानक लागू है, एक को निम्नलिखित तीन सवालों के सही उत्तर मिलना चाहिए।

(a) क्या यह संबंधित उद्यम पर लागू होता है ? यदि हां, तो अगला सवाल यह है कि

(b) क्या यह संबंधित वक्तव्य पर लागू होता है ? यदि हां, तो अगला सवाल यह है कि

(c) क्या संबंधित वित्तीय मद पर लागू होता है ?

लेखांकन मानकों के बयानों की प्रस्तावना ऊपर के सवालों के जवाब।

जिन उद्यमों के लिए लेखांकन मानदंड लागू होते हैं ? (Enterprises to which the accounting standards apply ?)

लेखांकन मानक व्यावसायिक, औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियों में लगे किसी भी उद्यम (चाहे कॉर्पोरेट सहकारी या अन्य रूपों में संगठित) के संबंध में लागू होते हैं, चाहे वह लाभकारी हों और चाहे धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए स्थापित हो। लेखा मानक हालांकि, केवल व्यावसायिक, औद्योगिक या व्यावसायिक प्रकृति (जैसे, दान एकत्र करने और उन्हें प्रभावित लोगों को बाधित करने की एक गतिविधि) की गतिविधियों पर ले जाने वाले उद्यमों पर लागू नहीं होता है। लेखा मानक के प्रयोज्यता से एक उद्यम का बहिष्कार केवल तभी होगा जब तक इस तरह की उद्यम की गतिविधि का कोई भी हिस्सा वाणिज्यिक, औद्योगिक या व्यापार प्रकृति में नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी उद्यम की गतिविधियों का बहुत छोटा हिस्सा वाणिज्यिक, औद्योगिक या प्रकृति में व्यवसाय माना जाता है, तो लेखा मानक उन सभी गतिविधियों पर लागू होंगे, जो व्यावसायिक, औद्योगिक या व्यावसायिक रूप से नहीं हैं।

अनिवार्य स्थिति की प्रयोज्यता (Implication of Mandatory Status)

जहाँ उद्यम को संचालित करने वाले कानून को लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के लिए एक साझेदारी फर्म, एक अकाउंटिंग मानक की अनिवार्य स्थिति का अर्थ है कि, उनके कार्यों का निर्वहन करने में, संस्थान के सदस्यों को यह जांचना आवश्यक है कि क्या वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार हैं या नहीं। लेखा मानकों से किसी भी विचलन की स्थिति में, उनके पास अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त खुलासा करने का कर्तव्य है ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोकर्ता इस तरह के विचलन से अवगत हो जाएं। फिर भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों की तैयारी और पर्याप्त प्रकटीकरण करने की जिम्मेदारी एंटरप्राइज के प्रबंधन की है। लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी उनकी राय बनाने और ऐसी वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट करना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1) के अनुसार कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय वक्तव्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है (नीचे नोट देखें)। इसके अलावा, लेखाकार की धारा 143 (3) (ई) के अनुसार, उनकी राय में, कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। जहां वित्तीय कंपनी के बयान, लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं, कंपनी को अपने वित्तीय वक्तव्यों, लेखा मानकों से विचलन, ऐसे विचलन के लिए कारण और वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, खंड 129 के अनुसार इस तरह के विलचन से उत्पन्न होना चाहिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (5) । यह भी बताया गया है कि वित्तीय वक्तव्यों को कंपनी के मामलों के सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस तथ्य के कारण हैं कि वे इसका खुलासा नहीं करते—

(a) बीमा कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जिसे बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) किसी बैंकिंग कंपनी के मामले में, किसी भी मामले को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है;

(c) बिजली की पीढ़ी या आपूर्ति में लगे किसी कंपनी के मामले में, किसी भी मामले को बिजली अधिनियम, 2003 द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है;

(d) लागू होने वाले समय के लिए किसी अन्य कानून द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी के मामले में, किसी भी मामले को उस कानून द्वारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है

नोट : कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, केंद्र सरकार एनएसीएएस के परामर्श से भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा अनुशंसित लेखांकन या परिशिष्ट के मानकों को निर्धारित कर सकती है। आज तक, केंद्र सरकार ने सभी मौजूदा लेखा मानकों को अधिसूचित किया है।*

जिन वित्तीय मदों के लिए लेखांकन मानदंड लागू होते हैं (Financial items to which the accounting standards apply)

लेखांकन मानक का उद्देश्य केवल उन वस्तुओं पर लागू होते हैं जो सामग्री हैं एक वस्तु को सामग्री माना जाता है, अगर उपयोगकर्ता की आर्थिक चूक को प्रभावित करने की संभावना तो इसकी चूक या गलतफहमी हो सकती है। भौतिकता जरूरी आकार का एक कार्य नहीं है; यह सूचना सामग्री है, अर्थात् वित्तीय मद जो महत्वपूर्ण है। किसी कंपनी द्वारा कानून के उल्लंघन के लिए भुगतान किए गए ₹ 50,000 का जुर्माना एक वर्ष में करोड़ों रुपये खर्च करने वाली कंपनी के लिए एक अपेक्षाकृत छोटी राशि लग सकता है, फिर भी यह जानकारी बताती है क्योंकि एक समाग्री वस्तु है। इसलिए भौतिकता का केस–टू–केस आधार पर न्याय किया जाना चाहिए। यदि कोई वस्तु सामग्री है, तो उसे अन्य वस्तुओं के साथ जोड़कर अलग–अलग दिखाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कानूनी शुल्क के साथ भुगतान किए गए दंड के लिए क्लब के लिए उपयुक्त नहीं है।

लेखांकन मानक और आयकर अधिनियम, 1961 (Accounting Standards and Income tax Act, 1961)

लेखा मानकों का उद्देश्य लेखा सिद्धांतों के आवेदन में विविधता को कम करना है। वे वित्तीय वक्तव्य की तुलनात्मकता में सुधार करते हैं और अपनी प्रस्तुति में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर करयोग्य आय की गणना में छूट और छूट, सरकार की राजकोषीय नीति का मामला है।

इस प्रकार, एक लेखा मानक द्वारा राजस्व के खिलाफ आरोप लगाने के लिए जरूरी व्यय का अर्थ यह नहीं है कि आयकर के प्रयोजनों के लिए हमेशा यही कटौती की जाती है। उदाहरण के लिए, वित्त पट्टे पर ली गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में 19 के मुताबिक पट्टेदार की पुस्तकों में काटा जाता है, लेकिन कर के प्रयोजन के लिए अवमूल्यन के लिए पट्टादाता, परिसंपत्ति के कानूनी मालिक होने की अनुमति दी जाती है, बजाय पट्टेदार के लिए इसी तरह, वित्तीय विवरणों में राजस्व की पहचान आसानी से नहीं बचा सकती क्योंकि इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूट दी गई है।

आय गणना और प्रकटन मानक (Income computation and Disclosure Standards)

धारा 145 (2) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है समय–समय पर, आय कम्प्यूटेशन और प्रकटीकरण मानकों को किसी भी श्रेणी के आयकर या किसी भी आय वर्ग के संबंध में पालन करना चाहिए। तदनुसार, केंद्र सरकार ने धारा 145 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दस आय कम्प्यूटेशन और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) को सभी

** It may be noted that AS 6 'Depreciation accounting' and AS 10 'Property, Plant, and equipment' and As 8 'Research and Development' has already been withdrawn consequent to issuance of AS 26 'Intangible Assets'.*

© The Institute of Chartered Accountants of India

निर्धारित (एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा जो आवश्यक नहीं है, के अलावा) अनुपालन किया है "व्यवसाय और पेशे के लाभ और लाभ" या सिर के तहत आयकर के लिए आय के हिसाब से आयकर की गणना के उद्देश्यों के लिए लेखांकन की व्यापार प्रणाली के अनुसार, धारा 44AB के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के अपने लेख प्राप्त करने के लिए A.Y. 2017-18 से, "अन्य स्त्रोतों से आय"। दस अधिसूचित आईसीडीएस हैं :

आईसीडीएस I : लेखा नीतियां;

आईसीडीएस II : सूची का मूल्यांकन;

आईसीडीएस III : निर्माण अनुबंध;

आईसीडीएस IV : राजस्व मान्यता;

आईसीडीएस V : मूर्त स्थिर परिसंपत्तियां;

आईसीडीएस VI : विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव;

आईसीडीएस VII : सरकारी अनुदान;

आईसीडीएस VIII : सिक्योरिटीज;

आईसीडीएस IX : उधार लेने की लागत;

आईसीडीएस X : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति;

1.2 लेखांकन मानक की अयोग्यता (Applicability of Accounting Standards)

लेखा मानक के अनुपालन के उद्देश्य के लिए, आईसीएआई ने 'संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड और लेखांकन मानकों की उपयुक्तता' पर एक घोषणा जारी की थी। घोषणा के अनुसार, संस्थाओं को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। स्तरीय द्वितीय संस्थाओं और स्तर III संस्थाओं को घोषित घोषणा के अनुसार छोटे और मध्यम इकाइयों (एसएमई) माना जाता है।

हालांकि, जब लेखा मानकों को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के लेखांकन मानक * के साथ परामर्श में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, तो केंद्र सरकार ने कंपनियों के लिए 'इकाइयों के वर्गीकरण के लिए मानदंड और लेखांकन मानकों की उपयुक्तता' जारी कर दी है।

सरकार द्वारा जारी की गई 'संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड और लेखा मानकों की प्राप्यता' के अनुसार, कंपनियों (लेखा मानक) नियम–2006 में परिभाषित के अनुसार दो स्तर हैं, अर्थात् छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां (एसएमसी) एसएमसी के अलावा अन्य कंपनियों गैर एसएमसी को सभी लेखा मानकों का पूरी तरह से पालन करने की आवश्यकता है, जबकि एमएमसी को कुछ छूट/छूट प्रदान की गई है।

आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संस्थाओं के स्तरों के वर्गीकरण के मापदंड में कुछ मतभेदों के मुताबिक और कंपनियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने के कारण, आईसीएआई के लेखा मानक बोर्ड ने अपनी "संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड और लागू करने का निर्णय लेखा मानक'

** The Companies Act, 1956 is being replaced by the Companies Act 2013 in a phased manner. Now, as per Section 133 of the Companies Act, 2013, the Central Government may prescribe the standards of accouting or any addendum thereto, as recommended by the institute of Chartered Accountants of India, constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949, in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority (NFRA). Section 132 of the Companies Act, 2013 deals with constitution of NFRA.*

However, the Ministry of Corporate Affairs has, vide clarification dated 13th September, 2013, announced that the existing Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 shall continue to apply till the standards of Accounting or any addendum thereto are prescribed by Central Government in consultation and recommendation of the National Financial Reporting Authority.

© The Institute of Chartered Accountants of India

और न केवल गैरकॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू होते हैं। हालांकि, वर्गीकरण मानदंडों और लेखा मानकों की प्रयोज्यता को बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ गठबंधन किया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट इकाइयों के लिए निर्धारित दो स्तरों के अनुसार गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए तीन स्तरों की संस्थाओं के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया था। सरकार की अधिसूचना कॉर्पोरेट संस्थाओं और गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए 'संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड और लेखांकन मानक की उपलब्धता' के बारे में आने वाले पैराग्राफ में समझाया गया है।

1.2.1 गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड जैसा कि भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा तय किया गया है (Criteria for classification of non-corporate entities as decided by the Institute of Chartered Accountants of India)

स्तर I इकाइयां (Level I Entities)

गैर–कॉर्पोरेट संस्थाएं, जो संबंधित एकाउंटिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणियों में आती हैं, उन्हें स्तर I इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

(i) जिन संस्थाओं की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, चाहे भारत में या भारत के बाहर।

(ii) बैंक (सहकारी बैंकों सहित), वित्तीय संस्थान या बीमा व्यवसाय को लेकर संस्थाएं।

(iii) सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाएं, जिनके कारोबार (अन्य आय को छोड़कर) तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में पचास करोड़ रुपये से अधिक है।

(iv) तत्काल पूर्ववर्ती लेख वर्ष के दौरान किसी भी समय दस करोड़ रुपए से अधिक की सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाओं (सार्वजनिक जमा सहित)

(v) उपर्युक्त में से किसी एक के होल्डिंग और सहायक इकाइयां।

स्तर II इकाइयों (एसएमई) (Level II Entites – SME*s*)

गैर–कॉर्पोरेट संस्थाएं जो स्तर I इकाइयां नहीं हैं बल्कि किसी भी एक या अधिक में आती हैं निम्नलिखित श्रेणियों को स्तर II संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है :

(i) सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाएं, जिनका कारोबार (अन्य आय को छोड़कर) एक करोड़ रुपए से अधिक है * लेकिन तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है

(ii) तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 10 करोड़ से अधिक नहीं होने पर सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाओं (सार्वजनिक जमाओं सहित) उधार लेने वाली संख्याएं।

(iii) उपर्युक्त में से किसी एक के होल्डिंग और सहायक इकाइयां।

स्तर III इकाइयां (एसएममई) (Level II Entities – SMEs)

गैर–कार्पोरेट संस्थाएं जो स्तर I और स्तर द्वितीय के नीचे नहीं आती हैं को स्तर III संस्थाओं के रूप में माना जाता है।

अतिरिक्त आवश्यकताएं (Additional Requirements)

(1) एक एसएमई जो कुछ सूचनाओं को छूट या छूट के अनुपालन के अनुसार नहीं बताती है, (यह अपने

* This change is made as per the announcement 'Revision in the criteria for classifying Level II non-corporate entities'. This revision in applicable with effect from the accounting year commencing on or after April 01, 2012.

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्तीय विवरणों के लिए एक नोट के माध्यम से) प्रकट करना चाहिए यह तथ्य कि यह एक एसएमई है और लेखा मानकों के अनुरूप है जैसा कि वे स्तर II या स्तर III में गिरने वाली संस्थाओं के लिए लागू होते हैं, जैसा कि मामला हो सकता है।

(2) जहां एक इकाई, स्तर II या स्तर III में कवर किया जा रहा है, पहले किसी भी छूट या छूट के लिए योग्य था, लेकिन वर्तमान लेखा अवधि में संबंधित छूट या छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता, प्रासंगिक मानक या आवश्यकताओं को वर्तमान से लागू हो अवधि और पिछले लेखा अवधि की इसी अवधि के आंकड़ें को केवल स्तर II या स्तर III में शामिल होने के कारण, जैसा कि मामला हो, केवल संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि इकाई स्तर II या स्तर 3 में कवर किया गया था, जैसा कि मामला पहले की अवधि में था, और उसमें संस्थाओं के उस स्तर तक उपलब्ध छूट या छूट का फायदा उठाया जाना चाहिए, वित्तीय विवरणों में नोटों में प्रकट किया जाना चाहिए।

(3) जहां एक इकाई को स्तर I में शामिल किया गया है और बाद में, इतना कवर होने के लिए समाप्त नहीं होता है, इकाई स्तर II संस्थाओं को छूट/छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी, जब तक कि इकाई लगतार दो वर्षों में स्तर I में शामिल नहीं होती। एक इकाई के संबंध में ऐसा ही मामला है, जिसे स्तर I या स्तर II में शामिल किया गया है और बाद में, स्तर III के तहत कवर किया जाता है।

(4) यदि स्तर II या स्तर III में शामिल किसी संस्था को किसी भी, लेकिन सभी लेखा मानक के संबंध में संस्थाओं के उस स्तर पर उपलब्ध छूट या छूट का लाभ नहीं लेने का विकल्प मिलता है, तो इसे मानक (एस) के संबंध में प्रकट करना चाहिए जिसमें से छूट या छूट का फायदा मिला है।

(5) यदि स्तर II या स्तर III में शामिल किसी संस्था को जानकारी प्रकट करने की इच्छा होती है तो उस संस्था के स्तर पर उपलब्ध छूट या छूट के अनुसार सूचना का खुलासा करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसे संबंधित लेखा मानक के अनुपालन में जानकारी प्रकट करनी चाहिए।

(6) स्तर II या स्तर III में शामिल एक संस्था, लेखा मानक में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन से कुछ छूट या छूट का विकल्प चुन सकता है : बशर्ते ऐसा आंशिक छूट या छूट और प्रकटीकरण को किसी भी व्यक्ति जनता को भ्रामक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(7) लेखा मानक (एएस) 15 के संबंध में, कर्मचारी लाभ, छूट/छूट, दो उप–वर्गीकरण, अर्थात् (i) संस्थाओं के अंतर्गत, स्तर II और स्तर III संस्थाओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनके औसत संख्या में व्यक्तियों की संख्या वर्ष 50 या अधिक है, और (ii) संस्थाएं जिनकी औसत वर्ष में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से कम है। पैराग्राफ में वर्णित आवश्यकताओं (1) से (6) उपर्युक्त, उत्परिवर्तनीय परिवर्तन, इन उप–वर्गीकरणों पर लागू होते हैं।

उदाहरण :

मैसर्स ओमेगा एंड कं। (एक साझेदारी फर्म), का पिछले वर्ष में ₹ 1.25 करोड़ (अन्य आय को छोड़कर) और 0.95 करोड़ के उधार का कारोबार था। यह 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं को लेखा मानक के आवेदन में उपलब्ध छूटों को लाभ लेना चाहता है। आईसीएआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, एएस के प्रावधानों के छूट के संबंध में मैसर्स ओमेगा एंड कंपनी के प्रबंधन को सलाह दीजिए।

उपाय :

सवाल एक गैर–कॉर्पोरेट इकाई के लिए लेखांकन मानक के लागू होने के मुद्दे से संबंधित है। छूट की पूर्ति के लिए, सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि मैसर्स ओमेगा एंड कंपनी नॉन–कार्पोरेट

© The Institute of Chartered Accountants of India

संस्थाओं का स्तर है। इसका वर्गीकरण आईसीएआई द्वारा निर्धारित गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा। आईसीएआई के मुताबिक, गैर–कार्पोरेट संस्थाओं को 3 स्तरों जैसे कि लेवल I, लेवल II (एसएमई) और लेवल III (एसएमई) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

एक इकाई जिसका कारोबार (अन्य आय को छोड़कर) तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में पचास करोड़ रुपए से अधिक है, स्तर I संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा।

गैर–कॉर्पोरेट संस्थाएं जो स्तर I इकाइयां नहीं हैं बल्कि किसी भी एक या अधिक में आती हैं निम्नलिखित श्रेणियों को स्तर II संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है :

(i) सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाएं, जिनके कारोबार (अन्य आय को छोड़कर एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

(ii) तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होने पर सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक रिपोर्टिंग संस्थाओं (सार्वजनिक जमाओं सहित) उधार लेने वाली संस्थाएं।

(iii) उपर्युक्त में से किसी एक के होल्डिंग और सहायक इकाइयां

जैसे मैसर्स ओमेगा एंड कंपनी का कारोबार ₹ 1 करोड़ से अधिक है, यह ऊपर बताए अनुसार स्तर II के गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के प्रथम मानदंड के अंतर्गत आता है। भले ही '0.95 करोड़ का उधार 1 करोड़ से कम है, यह स्तर II इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस मामले में, एएस 3, एएस 17. एएस 21 (संशोधित), एएस 23, एएस 27 मैसर्स ओमेगा एंड कं रिलेक्सेशंस के लिए एएस 15, एएस 19, एसस 20, एएस के संबंध में कुछ आवश्यकताओं से लागू नहीं होगा। एरस 25, एएस 28 और एएस 29 (संशोधित) मैसर्स ओमेगा एंड कं के लिए भी उपलब्ध हैं।

1.2.2 कम्पनियों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड (लेखा मानकों) नियम, 2006 कम्पनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 की धारा 2 (एफ) में परिभाषित के रूप में लघु और मध्यम आकार की कम्पनी (एसएमसी) (1.2.2 Criteria for Classification of Companies under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006)

लघु और मध्यम आकार की कम्पनी" (एसएमसी) का मतलब है, एक कम्पनी–

(i) जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है या किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में नहीं हैं, चाहे भारत में या भारत के बाहर;

(ii) जो एक बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमा कम्पनी नहीं है;

(iii) जिनके करोबार (अन्य आय को छोड़कर) तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(iv) जिसमें तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 10 करोड़ से अधिक की उधार (सार्वजनिक जमा सहित) नहीं है; तथा

(v) जो किसी कम्पनी की होल्डिंग या सहायक कम्पनी नहीं है, जो कि छोटी नहीं है और माध्यम आकार की कम्पनी।

स्पष्टीकरण : क्लॉज 2 (एफ) के प्रयोजनों के लिए, कम्पनी को एक लघु और माध्यम आकार की कम्पनी के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, अगर सम्बन्धित लेखांकन अवधि के अंत में उसमें उल्लिखित शर्तों में संतुष्ट हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

गैर एसएमसी (Non-SMCs)

एसएमसी की परिभाषा के भीतर आने वाली कम्पनियों को गैर एसएमसी के रूप में माना जाता है

अनुदेश (Instructions)

(A) सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. इन नियमों के अन्तर्गत लेखा मानकों का पालन करते समय एसएमसी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए–

1.1 एसएमसी जो कुछ सूचनाओं को छूट या छूट के अनुपालन के अनुसार नहीं बताती है, उसे (अपने वित्तीय विवरणों के लिए एक नोट के माध्यम से) खुलासा करना चाहिए, कि यह एक एसएमसी है और लेखा मानकों के अनुरूप है, जैसा कि वे लागू हैं, निम्नलिखित लाइनों पर इस एसएमसी के लिए "कम्पनी एक छोटे और मध्यम आकार की कम्पनी (एसएमसी) है, जो कि कम्पनी अधिनियम के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है, कम्पनी ने एक लघु और मध्यम आकार की कम्पनी पर लागू लेखा मानकों के साथ अनुपालन किया है।"

1.2 जहाँ एक कम्पनी एसएमसी है, उसने पहले किसी भी छूट या छूट के लिए योग्यता प्राप्त की है, लेकिन वर्तमान लेखा अवधि में प्रासंगिक छूट या छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की है, प्रासंगिक मानकों या आवश्यकताओं को वर्तमान अवधि से लागू हो और इसी के लिए आँकड़े पिछली लेखा अवधि की अवधि को केवल एसएमसी के रूप में समाप्त होने के कारण संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य यह है, कि कम्पनी पिछली अवधि में एक एसएमसी थी और एसएमसी के लिए उपलब्ध छूट या छूट का फायदा उठाया जाना चाहिए, वित्तीय विवरणों के नोटों में इसका खुलासा करना चाहिए।

1.3 यदि किसी एसएमसी ने एसएमसी के लिए किसी भी, लेकिन सभी लेखा मानकों के संबंध में छूट या छूट का लाभ लेने का विकल्प नहीं लिया है, तो उसे मानक (एस) का खुलासा करना चाहिए, जिसमें से छूट या विश्राम का लाभ उठाया गया है।

1.4 यदि एक एसएमसी एसएमसी के लिए उपलब्ध छूट या छूट के अनुसार सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका खुलासा करना चाहती है, तो उसे प्रासंगिक लेखा मानक के अनुपालन में जानकारी प्रकट करनी चाहिए।

1.5 एसएमसी एक लेखा मानक में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन से कुछ छूट या छूट का लाभ लेने का विकल्प चुन सकता है–

बशर्ते इस तरह की आंशिक छूट या छूट और प्रकटीकरण को किसी भी व्यक्ति या जनता को भ्रामक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बी अन्य निर्देश (Other Instructions)

कम्पनियों (लेखा मानकों) नियम, 2006 के नियम, 5 निम्नानुसार प्रदान करता है–एक मौजूदा कम्पनी जो पहले एक लघु और मध्यम आकार की कम्पनी (एसएमसी) नहीं थी और बाद में एसएमसी बन गई थी, को छूट या विश्राम के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, एक एसएमसी के लिए उपलब्ध लेखा मानक का, जब तक कि कम्पनी लगातार दो खातों की अवधि के लिए एक एसएमसी बना रहता है।"

1.2.3 कम्पनी के लिए लेखांकन मानकों की प्राप्यता (Applicability of Accounting Standards to Companies)

© The Institute of Chartered Accountants of India

1.2.3.1 7 दिसम्बर, 2006 को या उसके बाद शुरू होने वाले लेखांकन की अवधि के लिए सभी कम्पनियों को लागू होने वाले लेखा मानदण्ड

एएस 1	लेखा नीतियों का खुलासा
एएस 2 (संशोधित)	स्टॉक का मूल्यांकन
एएस 4 (संशोधित)	आकस्मिकताओं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएँ
एएस 5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों में पहले की अवधि वाले आइटम और परिवर्तन
एएस 7	निर्माण ठेके
एएस 9	राजस्व मान्यता
एएस 10 (संशोधित)	सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण*
एसस 11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव
एसस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन
एएस 13 (संशोधित)	निवेश के लिए लेखांकन
एएस 14 (संशोधित)	समामेलन के लिए लेखा
एएस 16	उधार लागत
एएस 18	संबंधित पार्टी का खुलासा
एएस 22	आय पर कर के लिए लेखांकन
एएस 24	अवरुद्ध संचालन
एएस 26	अमूर्त आस्तियों

1.2.3.2 अधिसूचना में परिभाषित एसएमसी के लिए छूट या छूट (1.2.3.2 Exemptions or Relaxations for SMCs as defined in the Notification)

(a) अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसएमसी पर पूरी तरह लागू नहीं होता है : एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग;

(b) संबंधित मानक से संबंधित एसएमसी के लिए लेखा मानक लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट गैर–एसएमसी द्वारा उन्हें अनुपालन की आवश्यकता होती है; *

(i) एएस 21 (संशोधित), समेकित वित्तीय विवरण;

* Revised As 10 is on 'Property, Plants and Equipment' which is applicable for corporate entities and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2016 while for non-corporate entities the same has been withdrawn and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2017 onwards.

As 6 has been withdrawn by the MCA on 30.3.2016 for corporate entities and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2016 while for non-corporate entities ths same has been withdrawn and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2017 onwards, Provision with respect to Depreciation has been incorporated in revised AS 10.

* As 21 , AS 23 and AS 27 (relating to consolidated financial statements) are required to be complied with by a company if the company, pursuant to the requirements of a statute/requlator or voluntarily, prepares and presents consolidated financial statements.

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) एएस 23, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन;

(iii) एएस 27, संयुक्त उद्यमों में रुचि की वित्तीय रिपोर्टिंग (समेकित वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित आवश्यकताओं की सीमा तक)

(c) एसएमसी को कुछ आवश्यकताओं से छूट देने के संबंध में लेखा मानक–

(i) लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ

(a) पैराग्राफ 11 से 16 मानक तक जो सीमा तक वे मान्यता और माप के साथ सौदा करते हैं, वे मुआवजे की अनुपस्थिति को संचित कर देते हैं, जो गैर–निहित हैं (यानी, अल्पकालिक जमाराशि की अनुपलब्धता के संबंध में कर्मचारियों को नकद नहीं होना चाहिए छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता के लिए भुगतान);

(b) पैराग्राफ 46 और 139 मानक जो कि राशि के छूट के साथ सौदा है जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक की हो;

(c) पैराग्राफ 50 से 116 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धान्त और परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन के संबंध में मानक के पैराग्राफ 117 से 123 में प्रस्तुत प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताएं। हालांकि, इस तरह की कम्पनियाँ प्रवीणित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में उपार्जित दायित्वों के बारे में निर्धारित और प्रदान करना चाहिए और उपयोग की जाने वाली छूट की दर अनुसूची के अनुसार सरकारी बॉण्ड पर बैलेंस शीट की तारीख में बाजार की पैदावार के संदर्भ से निर्धारित की जानी चाहिए। मानक के 78 ऐसी कम्पनियों को मानक के अनुच्छेद 120 (एल) के अनुसार बीमांकित मान्यताओं का खुलासा करना चाहिए; तथा

(d) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए लेखांकन के संबंध में मानक के पैरा 129 से 131 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांत। हालांकि, ऐसी कम्पनियाँ प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके अन्य लंबी–अवधि के कर्मचारी लाभों के संबंध में संचित देनदारी के लिए निर्धारित और प्रदान चाहिए और उपयोग की जाने वाली छूट की दर को सरकारी बॉण्डों पर बैलेंस शीट की तारीख में बाजार की पैदावार के आधार पर मानक के पैरा 78 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) एएस 19, पट्टों

पैराग्राफ 22 (सी), (ई) और (एफ); 25 (ए), (इ) और (ई), 37 (ए) और 46 (बी) और (डी) एस ओसी के लिए खुलासे से सम्बन्धित नहीं हैं।

(iii) एएस 20, शेयर प्रति शेयर पतले आय का खुलासा (असाधारण वस्तुओं को छोड़कर और छोड़कर दोनों) को एसएमसी के लिए छूट दी गई है।

(iv) एएस 28, एसेट्स की हानि

वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा उपयोग में मान की गणना के बजाय एसएमसी को उचित अनुमान के आधार पर 'उपयोग में मूल्य' मापने की अनुमति है। नतीजतन, यदि एक एसएमसी वर्तमान मूल्य तकनीक का उपयोग न करके 'प्रयोग में मूल्य' को मापने का विकल्प चुनता है, तो एएस 28 के संबंधित प्रावधान, जैसे छूट दर आदि ऐसे एसएमसी पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, ऐसे एक एसएमसी को मानक के पैरा 121 (जी) के लिए आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) एएस 29 (संशोधित) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक सम्पत्तियाँ खुलासे से सम्बन्धित पैराग्राफ 66 और 67 एसएमसी पर लागू नहीं हैं।

(d) एएस 25, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, किसी कम्पनी को अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल तभी लागू होता है, जब कोई कम्पनी आवश्यक हो या अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का चुनाव करता हो। अंतरिम वित्तीय परिणाम पेश करने के लिए संबंधित नियामकों द्वारा केवल कुछ गैर एसएमसी आवश्यक हैं, उदाहरण के लिए, सेबी द्वारा अपेक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम इसलिए इस मानक में निहित मान्यता और माप आवश्यकता अंतरिम वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए उन गैर–एसएमसीओ पर लागू होती है।

1.2.4 गैर–कार्पोरेट संस्थाओं के लिए लेखा मानकों की प्राप्यता (1.2.4 Applicability of According Standards to Non-corporate Entities)

1.2.4.1 सभी गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं को उनके संपूर्णता में लागू लेखा मानक (स्तर I, स्तर II और स्तर III)

एएस 1	लेखा नीतियों का खुलासा
एएस 2 (संशोधित)	स्टॉक का मूल्यांकन
एएस 4 (संशोधित)	आकस्मिकताओं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएँ
एएस 5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों में पहले की अवधि वाले आइटम और परिवर्तन
एएस 7	निर्माण ठेके
एएस 9	राजस्व मान्यता
एएस 10 (संशोधित)	सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण*
एसस 11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव
एसस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन
एएस 13 (संशोधित)	निवेश के लिए लेखांकन
एएस 14 (संशोधित)	समामेलन के लिए लेखा
एएस 16	उधार लागत
एएस 22	आय पर कर के लिए लेखांकन
एएस 26	अमूर्त आस्तियों

* Revised AS 10 is on 'Property, Plant and Equipment' which is applicable for corporate entities and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2016 while for non-corporate entities the same has been withdrawn and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2017 onwards.

As 6 has been withdrawn by the MCA on 30.3.2016 for corporate entities and will come into effect prospectively in respect of accounting periods commencing on or after April 1, 2016 while for non-corportate entities the same has been withdrawn and will come into effect prospectively in respect of accounting periods periods commencing on or after April 1, 2017 onwards.

© The Institute of Chartered Accountants of India

1.2.4.2 लेन–देन II और स्तर III (एसएमई) में गिरने वाले गैर–कॉर्पोरेट इकाइयों के लिए छूट या रिलेक्सेशन (1.2.4.2 Exemptions or Relaxation for Non-corporate Entities falling in Level II and Level III (SMEs)

(a) लेखा मानक, गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू नहीं होते हैं, जो उनकी पूर्णता में स्तर II में आते हैं–

एएस 3	कैश फ्लो स्टेटमेंट्स
एएस 17	सेगमेंट रिपोर्टिंग

(b) लेखा मानक, गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू नहीं हैं, जो पूरी तरह से स्तर III में आते हैं–

एएस 3	कैश फ्लो स्टेटमेंट्स
एएस 17	सेगमेंट रिपोर्टिंग
एएस 18	संबंधित पार्टी का खुलासा
एएस 24	अवरुद्ध संचालन

(c) सभी गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लेखा मानक लागू नहीं हैं, क्योंकि संबंधित नियामकों को केवल कुछ स्तर I संस्थाओं द्वारा अनुपालन की आवश्यकता होती है–

(i)	एएस 21, (संशोधित), समेकित वित्तीय विवरण;
(ii)	एएस 23, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन;
(iii)	एएस 27, संयुक्त उद्यमों में रुचि की वित्तीय रिपोर्टिंग (समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यकताओं की सीमा तक)

(D) लेखा मानक जो कि कुछ आवश्यकताओं से छूट को स्तर II और स्तर III (एसएमई) में गिरने वाले गैर–कॉर्पोरेट इकाइयों को दिया गया है–

(i) लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ;

(1) स्तर II और स्तर III गैर–कॉर्पोरेट संस्थाएं जिनकी वर्ष में नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या 50 या उससे अधिक है, उन्हें निम्नलिखित पैराग्राफों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है–

(a) पैराग्राफ 11 से 16 मानक तक की सीमा के लिए वे मान्यता और माप के साथ सौदा करते हैं, जो मुआवजे की अनुपस्थिति को संचित कर रहे हैं, जो कि गैर–निहित हैं (यानि, अल्पकालिक जमा होने से मुआवजा की जाने वाली अनुपलब्धता जिसके तहत कर्मचारियों को नकद छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता के लिए भुगतान);

(b) पैराग्राफ 46 और 139 मानक जो कि राशि के छूट के साथ सौदा है, जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक की हो;

(c) पैराग्राफ 50 से 116 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांत और परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन के संबंध में मानक के पैराग्राफ 117 से 123 में प्रस्तुत प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताएं। हालांकि, ऐसी संस्थाओं को प्रवीणित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में उपार्जित दायित्व के लिए निर्धारित और प्रदान करना चाहिए और उपयोग की जाने वाली छूट की दर अनुसूची के अनुसार सरकारी बॉण्ड पर बैलेंस शीट की तारीख में बाजार की पैदावार के संदर्भ से निर्धारित की जानी चाहिए, मानक के 78 ऐसी संस्थाओं को मानक के अनुच्छेद 120 (एल) के अनुसार बीमांकिक मान्यताओं का खुलासा करना चाहिए; तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए लेखा के संबंध में मानक के पैरा 129 से 131 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धान्त। हालांकि, ऐसी संस्थाओं को प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके अन्य लम्बी–अवधि के कर्मचारी लाभों के संबंध में अर्जित रूप से निर्धारित देनदारी के लिए कार्य करना चाहिए और उपयोग की जाने वाली छूट की दर को बाजार की उपज के संदर्भ द्वारा सरकारी बॉण्ड पर बैलेंस शीट की तारीख में मानक के पैरा 78 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

(2) स्तर II और स्तर III गैर–कॉर्पोरेट संस्थाएं जिनकी औसत वर्ष में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से कम है, उन्हें निम्नलिखित पैराग्राफों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है–

(a) पैराग्राफ 11 से 16 मानक तक की सीमा के लिए वे मान्यता और माप के साथ सौदा करते हैं, जो मुआवजे की अनुपस्थिति को संचित कर रहे हैं, जो कि गैर–निहित हैं (यानी, अल्पकालिक जमा होने से मुआवजा की जाने वाली अनुपलब्धता जिसके तहत कर्मचारियों को नकद छोड़ने पर अप्रयुक्त पात्रता के लिए भुगतान);

(b) पैराग्राफ 46 और 139 मानक जो कि राशि के छूट के साथ सौदा है, जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक की हो;

(c) पैराग्राफ 50 से 116 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांत और परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन के संबंध में मानक के पैराग्राफ 117 से 123 में प्रस्तुत प्रस्तुति प्रकटीकरण आवश्यकताएं। हालांकि, ऐसी संस्थाओं की गणना और अन्य कुछ तर्कसंगत विधियों के संदर्भ में परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत अर्जित दायित्व के लिए खाता है, उदाहरण के लिए, धारणा के आधार पर एक पद्धति है, कि ऐसे लाभ अकाउंटिंग वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों को देय हैं; तथा

(d) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए लेखा के संबंध में मानक के पैरा 129 से 131 में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धान्त। ऐसी संस्थाओं की गणना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के तहत अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के तहत अर्जित दायित्व के लिए गणना कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, धारणा के आधार पर एक विधि है, कि ऐसे लाभ अकाउंटिंग वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों के लिए देय हैं।

(ii) एएस 19, पट्टों

पैराग्राफ 22 (सी), (ई) और (एफ); 25 (ए), (बी) और (ई); 37 (ए) और (एफ); और 46 (बी) और (डी) खुलासे से सम्बन्धित गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जो स्तर II में गिरते हैं। पैराग्राफ 22 (सी), (ई) और (एफ); 25 (ए), (बी) और (ई); 37 (ए), (एफ) और (जी); 46 (बी), (डी) और (ई) खुलासे से संबंधित स्तर III संस्थाओं के लिए लागू नहीं हैं।

(iii) एएस 20, शेयर प्रति शेयर

स्तर II और स्तर III में गिरने वाली गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा प्रति शेयर कम आय (दोनों सहित और असाधारण वस्तुओं को छोड़कर) का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है और एएस 20 के अनुच्छेद 48 (ii) के लिए जरूरी सूचना स्तर के द्वारा प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, तृतीय संस्थाओं यदि यह मानक इन संस्थाओं पर लागू होता है।

(iv) एएस 28, एसेट्स की हानि

लेन–देन II और स्तर III में गिरने वाले गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं को वर्तमान मान तकनीक द्वारा उपयोग में मान की गणना के बजाय उचित अनुमान के आधार पर 'उपयोग में मूल्य' मापने

© The Institute of Chartered Accountants of India

की अनुमति है। नतीजतन, अगर स्तर II या लेवल III में गिरने वाला एक गैर–कॉर्पोरेट इकाई वर्तमान मूल्य तकनीक का उपयोग न करके 'प्रयोग में मूल्य' को मापने का विकल्प चुनता है, तो एएस 28 के सम्बन्धित प्रावधानों जैसे डिस्काउंट रेट आदि लागू नहीं होंगे। ऐसी संस्था के लिए इसके अलावा, ऐसी इकाई को मानक के पैरा 121 (जी) के लिए आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।

(v) एएस 29 (संशोधित), प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक सम्पत्ति पैराग्राफ 66 और 67 खुलासे से सम्बन्धित गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू नहीं है, जो स्तर II और स्तर III में गिरते हैं।

(E) के रूप में 25, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट पेश करने के लिए एक गैर–कॉर्पोरेट इकाई की आवश्यकता नहीं है। यह तब ही लागू होता है, जब एक गैर–कॉर्पोरेट इकाई की आवश्यकता हो या अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए चुना जाए। सेबी द्वारा अपेक्षित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों जैसे अंतरिम वित्तीय परिणाम पेश करने के लिए संबंधित नियामकों द्वारा केवल निश्चित स्तर I गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस मानक में निहित मान्यता और माप आवश्यकता अंतरिम वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए उन स्तर I गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है।

नोट : इंटरमीडिएट स्तर पर इस पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल लेखांकन मानक (एएस) (एएस 1; एएस 2 (संशोधित); एएस 3, एसस 4, संशोधित एएस 5, एएस 11; एएस 12; एएस 13 (संशोधित); एएस 16; एएस 17 और एएस 22) इस अध्याय की अगली इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है।

सारांश (Summary)

- सरकार द्वारा जारी की गई 'संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड और लेखा मानकों की प्राप्यता' के अनुसार कम्पनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 में परिभाषित के अनुसार दो स्तर हैं, अर्थात् छोटे और मध्यम आकार की कम्पनियाँ (एसएमसी) एसएमसी के अलावा अन्य कम्पनियों गैर एसएमसी को सभी लेखा मानकों का पूरी तरह से पालन करने की आवश्यकता है, जबकि एसएमसी को कुछ छूट/छूट प्रदान की गई है। कॉर्पोरेट अधिसूचना के मुताबिक कॉर्पोरेट और गैर–कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लेखा मानकों के प्रयोज्यता के लिए संस्थाओं के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

●●

© The Institute of Chartered Accountants of India